उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–633/आठ–3–2023
लखनऊः दिनाँकः 22 मार्च, 2023

अधिसूचना

प्रदेश में वर्तमान परिदृश्य में खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है। उक्त प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के कृषकों की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसरों को बढ़ाने, पूरे वर्ष भर गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों/खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषि उपजों के प्रसंस्करण को बढ़ाने तथा अन्य राज्यों एवं देशों में प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों/खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रख्यापित की गई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 में प्राविधान है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन स्थित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले बाहय विकास शुल्क की दर में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

2– अतएव उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–53 में वर्णित छूट संबंधी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 के अधीन अर्ह और पंजीकृत तथा कमीशन होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बाह्य विकास शुल्क की दर में 75 प्रतिशत छूट प्रदान करने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

(1) छूट की सुविधा लेटर ऑफ कम्फर्ट/लेटर ऑफ सैंक्शन प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को अनुमन्य होगी।

(2) लाभार्थी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का संचालन आगामी पॉच वर्षो तक किए जाने की बाध्यता होगी।

(3) खाद्य प्रसंस्करण इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉति की जाएगी।

(4) उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 के अधीन प्रोत्साहन एवं रियायतें प्राप्त करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियॉ स्वयं प्राप्त की जाएगी और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय की गाईडलाइन्स का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

(5) खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हों।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या–633(1)/आठ–3–2023–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना संख्या–633/आठ–3–2023 दिनांक 22.03.2023 को असाधारण गजट दिनांक 22.03.2023 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति समस्त संबंधित को तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव

संख्या–633(2)/आठ–3–2023–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. निदेशक, आवास बंन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

22.3.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव